कार्यालय कलेक्टर जिला रायगढ़ एवं पदेन उप सचिव छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

प्रारंभिक अधिसूचना

दिनांक- 03 -07 -2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-02/अ-82/2015-16, चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सर्वसंबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन एतद् द्वारा अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का प्रकार									धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम /प.ह. न.	खसरा नंबर			क्षेत्रफल (हे0 में.)				
1	2	3	4			5			6	7
रायगढ़	पुसौर	छपोरा प.ह. न 31	ख. न.	रकबा	ख. न.	रकबा	ख. न.	रकबा	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़	औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन
			94/2क/1	0.129	546/1ख	0.202	699/2ङ	0.405	729/1	0.113
			97/2क	0.100	573/1क	0.010	699/2च	0.165	730/2	0.052
			97/3क	0.609	580/1	0.522	709/2	0.337	743/2	0.206
			97/4क	0.301	580/2	0.101	710	0.069	744	0.955
			141/1	0.211	581/1	0.101	711/3	0.291	745/3	0.061
			260/1क	0.352	581/2	0.215	713/2	0.202	745/4	0.020
			260/2क	0.306	583	0.061	713/3	0.348	745/5	0.142
			420/2क	0.078	584	0.299	714/2	0.049	745/6	0.101
			420/3क	0.036	623/2क	0.096	716	0.170	746	0.101
			420/7क	0.011	633/1क	0.093	717	0.429	747/2	0.105
			421/3क	0.088	662/1ख	0.117	725/1क	0.121	748	0.223
			468/1क/2	0.213	662/1ग	0.097	726/1	0.267	801/1	0.312
			525/6	0.109	662/2ग/1	0.024	726/3	0.628	823/1	0.045
			534/2	0.065	689/6	0.030	726/4	0.101	828/2क	0.136
			541/1	0.105	699/2ख	0.405	727/1	0.496	846/1घ	0.041
			541/1क	0.048	699/2ग	0.405	727/3 क	0.405	846/1च	0.040
			546/1क	0.065	699/2घ	0.405	728/1 क	0.154	कुल खसरा 67 कुल रकबा 13.299 हे0	

2. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाधान निर्धारण के निष्कर्ष के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम 2013 की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।
3. भूमि का नक्शा/प्लान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में देखा जा सकता है।
4. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।
5. प्रस्तावित प्रयोजन के भू-अर्जन के लिए कराये गये सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।
6. प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला रायगढ़ को पुनर्वास और पुनर्व्यवसथापन प्रशासक नियुक्त किया गया।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(शम्मी आबिदी)
कलेक्टर रायगढ़ एवं पदेन उप सचिव
छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

प्रतिहस्ताक्षर

भू-अर्जन अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)